	अपना पक्ष रखे। प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी द्वारा 212 जा.ए.अ. के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड ऐडी से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.08.2024 को पेश हो।	
12/8/24	पत्रा. पक्षों के वकील उपस्थित – प्रार्थी द्वारा बाद पत्र को वापस करवाया जाने हेतु अवेदन किया। पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA कमीश्नर पर वापस किया जाता है। पत्रा. कौशल कुमार ऐडवोकेट हाजिर हुए।	सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:10:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner